न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 26/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबडी		1 श्रवणराम पुत्र नाथुराम (फौत) के कायम मुकाम 1/1 गुलाबी पत्नी श्रवणराम 1/2 शिवराज पुत्र श्रवणराम 1/3 रतन पुत्र श्रवणराम 1/4 छोगालाल पुत्र श्रवणराम 1/5 धर्माराम पुत्र श्रवणराम 1/6 रामनिवास पुत्र श्रवणराम 1/7 पप्पु पुत्र श्रवणराम जातियान नायक निवासीगण थावंला तहसील रियांबडी जिला नागौर 1/8 सुनीता पुत्री श्रवणराम पत्नी सीताराम जाति नायक निवासी कंवरी तहसील परबतसर 1/9 राधा पुत्री श्रवणराम पत्नी दशरथ जाति नायक निवासी भगवानगंज, अजमेर 2 नानूराम पुत्र नाथूराम 3 लालाराम पुत्र नाथूराम 4 शोभाराम पुत्र नाथूराम (फौत) के कायम मुकाम 4/1 लक्ष्मीदेवी पत्नी शोभाराम 4/2 रामस्वरूप पुत्र शोभाराम 4/3 गजेन्द्र पुत्र शोभाराम 4/4 सुरेन्द्र पुत्र शोभाराम 4/5 रवि पुत्र शोभाराम जातियान नायक निवासीगण थांवला तहसील रियांबडी जिला नागौर 4/6 मंजु पुत्री शोभाराम पत्नी पवन निवासी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर 4/7 आशा पुत्री शोभाराम पत्नी नेमाराम जाति नायक निवासी चांवडीया तहसील पुष्कर जिला अजमेर 4/8 सोना पुत्री शोभाराम पत्नी शिवजी जाति नायक निवासी चांवडीया तहसील पुष्कर जिला अजमेर 4/9 पुजा पुत्री शोभाराम पत्नी रामनिवास जाति नायक निवासी कंवरी तहसील परबतसर 5 स्याणी पुत्री नाथूराम 6 धीरा पुत्री नाथूराम 7 केलादेवी पत्नी नाथूराम सभी जातियान नायक निवासीगण थावंला तहसील रियाबंडी।

उपस्थिति–

1– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9, 2, 4/1 से 4/9, 5 तथा 7 की ओर से।

3– श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 6 की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.12.24

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा–67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि "श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी संवत 2012 से 2015 के कॉलम सं. 5 में खुदकाश्त की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज हुए है:–

1(1)कि ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है।

30/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

1(2) ग्राम–थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2020 से 2023 के खाता सं. 182 तथा खतौनी सम्वत 2022 से 2025 के खाता नम्बर 182 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है।

1(3) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2026 से 2029 के खाता संख्या 184 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है।

1(4) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2030 से 2033 के खाता संख्या 217 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पु सूजा नायक साकिन देह दर्ज है।

1(5) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2034 से 2036 के खाता संख्या 224 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 मं नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(6) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2037 से 2040 के खाता संख्या 239 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(7) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2042 से 2045 के खाता संख्या 246 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(8) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 249 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 26 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(9) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 247 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 26 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(10) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2054 से 2057 के खाता संख्या 224 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 27 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1214 के द्वारा पूरा खाता यू.को. बैंक थांवला के पक्ष रहन दर्ज हुआ है।

1(11) ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2058 से 2061 के खाता संख्या 300 के खसरा नम्बर 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 27 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम संख्या 04 में नाथूराम पुत्र सूजाराम कौम नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 2747 दिनांक 09.01.2007 के द्वारा श्रवणराम, नानूराम, लालराम, शोभाराम पिता नाथूराम, स्याणी, धीरा पुत्रियां नाथूराम, केलादेवी पत्नी नाथूराम कौम नायक साबिन देह दर्ज हुआ है।

30/12/14

अपर कलक्टर, नागौर

1(12) उपरोक्त राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

1(13) मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

1(14) मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

1(15) माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के खाता सं. 300 के खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 रकबा 27 बीघा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मे नाथुराम पुत्र सुजाराम कौम नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। जिसके पश्चात नामान्तरण संख्या 2747 दिनांक 09.01.07 के द्वारा श्रवणराम, नानूराम, लालाराम, शोभाराम पिता नाथुराम, स्याणी, धीरा पुत्रीयां नाथुराम, केलादेवी पत्नी नाथुराम कौम नायक साकिन देह दर्ज किया गया। उक्त भूमि पुनः मूर्ति मंदिर महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9, 2 4/1 से 4/9, 5 तथा 7 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 6 की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत 2012 से 2015, 2016 से 2019, 2020 से 2023, 2022 से 2025, 2030 से 2033, 2058 से 2061 तक की फोटोप्रति तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 2747 तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 06 की ओर से मौजा थावंला की सम्वत् 2000 की खतौनी की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला के खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जिसमें से वर्तमान में खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते।

30/12/24
अपर कलक्टर, नागौर

अप्रार्थीगण का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रुप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावें।

(4) वकील अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9, 2 4/1 से 4/9, 5 तथा 7 ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरूद्व जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के सम्वत 2058 से 2061 के खाता संख्या 300 के खसरा नम्बर 1803, 1804 व 1805 कुल खसरा 03 कुल रकबा 27 बीघा, जमाबंदी के कॉलम संख्या 04 में नाथुराम पुत्र सुजाराम कौम नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 2747 दिनांक 09.01.2007 के द्वारा श्रवणराम, नानूराम, लालाराम, शोभाराम पिता नाथुराम,स्याणी, धीरा पुत्रियां नाथुराम, केलादेवी पत्नी नाथुराम कौम नायक साकिन देह के नाम दर्ज है। उतरदाता ने उक्त भूमि पर काफी मात्रा में आर्थिक व शारीरिक श्रम कर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने लायक बनाने के लिये अथक परिश्रम किया है। लगभग 50 से 55 सालों से उतरदाता के पूर्वज व उतरदाता द्वारा काश्त के काबिल बनाने के लिये अत्यधिक श्रम खर्च करने के बाद में काश्त के उपयोग में उतरदाता के द्वारा ली जा रही है। अगर इतने सालों तक लगभग 50–60 सालों तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उतरदाता के विरूद्व नहीं की गई थी, इस कारण अब यह प्रकरण मियाद बाहर भी है। इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का तहसीलदार थांवला को कोई अधिकार नही है। इस कारण रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) वकील अप्रार्थी सं. 03 व 06 ने अपनी बहस में बताया कि खसरा संख्या 1803, 1804, 1805 की भूमि अप्रार्थीगण के दादा–पिता के समय से उनके खातेदारी, कब्जे काश्त की रहती चली आ रही है तथा कानून अनुसार अप्रार्थीगण को एवं उनके पिता को खातेदारी प्राप्त हुई है। यह गलत है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी में गलत दर्ज हो रखी हो। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में यह भूमि सही रूप में दर्ज है यह गलत है कि राजस्व रेकार्ड में किया गया परिवर्तन शून्य, प्रभावहीन और आरम्भ से ही शून्य हो। यह भी गलत है कि इस कारण से उपरोक्त जमाबंदियों के अंतरण शून्य घोषित किया जाने योग्य है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। अप्रार्थीगण के पिता और दादा का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से ही खसरा संख्या 1803, 1804, 1805 की कुल 28 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहले उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के खुदकाश्त खातेदारी की नहीं होने से काश्तकारी अधिनियम लागू होते ही इन तीनों खसरों की भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता नाथू का कब्जा होने से उन्हें विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है इसलिए अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार खसरा नं. 1803, 1804 व 1805 भूमि श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा. देह दर्ज रही है। जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के सम्वत 2058 से

30/12/14

अपर कलक्टर, नागौर

2061 के खाता संख्या 300 के खसरा नम्बर 1803, 1804 व 1805 कुल खसरा 03 कुल रकबा 27 बीघा, जमाबंदी के कॉलम संख्या 04 में नाथुराम पुत्र सुजाराम कौम नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 2747 दिनांक 09.01.2007 के द्वारा श्रवणराम, नानूराम, लालाराम, शोभाराम पिता नाथुराम,स्याणी, धीरा पुत्रियां नाथुराम, केलादेवी पत्नी नाथुराम कौम नायक साकिन देह के नाम अंकन किया गया है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का नामान्तरकरण सं. 2747 दिनांक 09.01.2007 खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला के खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 रकबा 27 बीघा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(7)उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 रकबा 27 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण संख्या 2747 दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2016–19 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खसरा नं. 1803, 1804 तथा 1805 रकबा 27 बीघा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(8)आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/14

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर